

महत्वपूर्ण सूचना

माननीय रार्डोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील नंबर 730/2020, रजनेश बनाम नेहा व अन्य में दिनांक 04.11.2020 को पारित आदेश एवं दिये गए निर्देशों के तहत समस्त अधिवक्तागण/पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि भविष्य में प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक भरण पोषण के मामले (125 दण्ड प्रक्रिया सहित या धरेलू हिस्सा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम) में प्रार्थना पत्र एवं जवाब के साथ संबंधित पक्षकार का विहित प्रारूप में शपथ-पत्र और संबंधित दस्तावेज आवश्यक रूप से पेश करें। इसके अभाव में प्रार्थना पत्र या जवाब स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके अलावा वर्तमान में इस न्यायालय में उक्त प्रकृति के त्वंवित समस्त प्रकरणों में भी दिसम्बर माह तक ये शपथ-पत्र और संबंधित दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

शपथ-पत्र

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री , उम्र- वर्ष,
निवासी
शपथपूर्वक निम्न घोषणाएं करता/करती हूं-

(क) व्यक्तिगत सूचनाएँ:-

1. नाम :
2. आयु :
3. ऐंक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता :
4. व्यवसाय :
5. प्रार्थीया का वर्तमान निवास : वैवाहिक आवास/पैतृक आवास/पृथक निवास
6. विवाह की तिथि :
7. पृथक रहने की तिथि/अवधि:

(ख) उन्ना विधिक कार्यवाहियों एवं भरण-पोषण भत्तो का विवरण:-

1. पक्षकारों के न्यू पूर्व की कोई विधिक कार्यवाही है, तो उसका विवरण
2. क्या पूर्व के इसी मामले में भरण-पोषण के संबंध में कोई आदेश पारित किया गया, यदि हां, तो उसका विवरण और आदेश की प्रति
3. क्या पूर्व के भरण-पोषण के आदेश की पालना की जा रही है या नहीं, यदि नहीं तो एरियर राशि का विवरण
4. क्या भरण-पोषण के संबंध में पूर्व में कोई स्वैच्छिक प्रबंध किया गया है या नहीं, यदि हां तो उसका विवरण

(ग) आश्रित परिजनों का विवरण:-

1. आश्रित परिजनों के नाम, आयु, संबंध व विशिष्ट विविरण

क्रम	नाम	आयु	संबंध	विशिष्ट विवरण

2. आश्रित परिजनों की स्वतंत्र आय के साधन (व्याज, परिसम्पत्ति पेंशन इत्यादि सहित)
3. आश्रित परिजनों पर प्रति माह व्यय होने वाली अनुमानित राशि

(घ) पक्षकार या आश्रित परिजनों का चिकित्सकीय विवरण:-

- क्या कोई पक्षकार किसी मानसिक या शारीरिक निर्याग्यता या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, यदि हां तो उसके संबंध में होने वाले व्यय एवं मेडिकल रिकोर्ड व विवरण
- क्या किसी पक्षकार पर आश्रित परिजन किसी मानसिक या शारीरिक निर्याग्यता या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, यदि हां तो उसके संबंध में होने वाले व्यय एवं मेडिकल रिकोर्ड व विवरण

(ङ) पक्षकारों के बच्चों का विवरण:-

1. पक्षकारों के वर्तमान विवाह/वैवाहिक संबंध/पूर्व विवाह से हुए बच्चों का विवरण

क्रम	नाम	उम्र	किसकी अभिरक्षा में

2. आश्रित बच्चों के भरण-पोषण के लिए आवश्यक राशि

भोजन, कपड़े और चिकित्सा व्यय हेतु :

शिक्षा और सामान्य व्यय हेतु :

अतिरिक्त शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/कौशल प्रशिक्षण हेतु :

3. क्या किसी बच्चे के संबंध में पूर्व में कोई स्वैच्छिक प्रबंध किया हुआ है, यदि हां तो उसका विवरण

(च) आय का विवरण, यदि नियोजित है:-

1. नियोजक का नाम

2. पद

3. मासिक आय (नवीनतम वेतन प्रमाण-पत्र, पे-स्लिप, सैलरी बैंक खाते की प्रति लगावें)

4. वेतन के साथ मिलने वाले अन्य लाभ व भत्तों का विवरण

5. क्या विपक्षी आयकर अदा करता है, यदि हां तो निम्न आयकर विवरणिका की प्रति संलग्न करें

- विवाह से एक वर्ष पूर्व का
- पृथक्करण से एक वर्ष पूर्व का
- भरण-पोषण का आवेदन प्रस्तुत करने के समय का

6. अन्य आय स्रोत जैसे किराया, व्याज, शेयर, डिवेंचर, एफ.डी.आर., स्युचल फंड, स्टोक, कृषि या व्यवसाय से प्राप्त आय, यदि कोई हो तो उसका विवरण एवं संबंधित रिकार्ड

7. गत तीन वर्षों में विपक्षी द्वारा सभी बैंक या पोस्ट ऑफिस या सहकारी समितियों में संधारित खातों एवं उनमें जमा राशि का विवरण

(छ) सम्पत्ति का विवरण:-

1. स्वअर्जित सम्पत्ति, यदि कोई हो तो उसका विवरण

2. विवाह पश्चात् पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित सम्पत्ति का विवरण

3. पैतृक संपत्ति, यदि कोई हो तो उसमें विपक्षी के अंश का विवरण

4. कब्जे की अन्य अचल संपत्तियां, यदि कोई हो तो उनका विवरण

5. लोन, यदि कोई है तो उसका विवरण

6. विवाह के दौरान या उसके बाद प्राप्त ज्वैलरी का संक्षिप्त विवरण

7. विवाह के पश्चात् अंतरित सम्पत्ति का विवरण और अंतरण का कारण

(ज) देयताओं का विवरण :-

1. लोन, चार्ज, मोर्टगेज या अन्य देयताएं

2. ई.एम.आई. का विवरण

3. वास्तविक उधार ली गई राशि और उसकी अदायगी के संबंध में वर्तमान स्थिति

4. अन्य कोई विवरण, जो उचित समझा जाये

(ज) खरोजगार / व्यवसाय में लगे पक्षकार का विवरण:-

1. रोजगार / व्यवसाय / कार्य का संक्षेप विवरण और उसकी प्रकृति जैसे व्यक्तिगत, गांगीदारी, एच.यु.एफ., संयुक्त परिवार या कंपनी आदि के रूप में।
2. उक्त रोजगार / व्यवसाय / कार्य से प्राप्त होने वाली मासिक आय
3. कंपनी की दशा में अंतिम ऑडिट वैलेन्स शीट जो लाभ व हानि को प्रदर्शित करें
4. कंपनी की दशा में अंतिम ऑडिट वैलेन्स शीट जो लाभ व हानि को प्रदर्शित करें
5. पार्टनरशीट फर्म या व्यक्तिगत व्यवसाय की दशा में अंतिम आयकर रिटर्न प्रस्तुत करें

(ज) यदि पक्षकार कृषक है, तो उसके संबंध में विवरण

1. स्थानिक की कुल भूमि का क्षेत्रफल या कुल भूमि में अंश (जमावंदी / म्युटेशन की प्रति साथ लगावे)
2. भूमि कहां स्थित है
3. भूमि की प्रकृति
4. यदि भूमि कृषि योग्य है तो उस पर बोयी जाने वाली फसलों का विवरण
5. यदि भूमि कृषि योग्य नहीं है तो उसका जिस कार्य में उपयोग किया जा रहा है उसका विवरण
6. गत तीन वर्षों में कृषि भूमि से प्राप्त आय का विवरण
7. लीज इत्यादि के आधार पर स्थानिक से भिन्न किसी भूमि का यदि उपयोग किया जा रहा है तो उसका विवरण
8. पशुपालन (पशुओं की संख्या) और इससे प्राप्त होने वाली मासिक आय का विवरण
9. भूमि के विरुद्ध यदि कोई लोन लिया गया है, तो उसका विवरण
10. भूमि पर यदि कोई देयता है, तो उसका विवरण
11. आय का अन्य कोई स्त्रोत है, तो उसका विवरण
12. अन्य कोई आवश्यक सूचना, जो प्रासंगिक हो

(ट) अन्य कोई वैवाहिक पक्षकार (स्पाउस) है, तो उसका विवरण:-

1. नाम, पता
2. शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता
3. आय का स्त्रोत, यदि कोई है तो और आय का विवरण
4. चल-अचल सम्पत्ति और देयताएं, यदि कोई है तो उसका विवरण

(ठ) अन्य कोई आय, व्यय, देयता और सम्पत्ति हो तो, उसका विवरण या कोई प्रासंगिक तात्परिक तथ्यों का अंकन :-

उक्त समस्त तथ्यों / कथनों के संबंध में दस्तावेज की प्रतियां रांगन करें-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

हस्ताक्षर शपथकर्ता

घोषणा

- मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मैंने समस्त स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली अपनी आय, व्यय, सम्पत्ति व देयताओं के संबंध में पूर्ण और सही विवरण दिया है और इनके अलावा मेरे पास कोई आय, सम्पत्ति, व्यय व देयताएं नहीं हैं।
- मैं यह अंडरटेकिंग देता/देती हूं कि मेरे रोजगार, सम्पत्ति, आय, व्यय व शपथ पत्र में दी गई किसी भी सूचना में कोई तात्पर्यक परिवर्तन होता है तो मैं न्यायालय को सूचित करूंगा/करूंगी।
- मैं यह समझता/समझती हूं कि यदि शपथ पत्र में कोई गलत तथ्य या कथन किया गया तो वह न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आयेगा। इसके अलावा ऐसा कार्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 199 सप्तित 191 व 193, जिसमें 7 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने की सजा का प्रावधान है और धारा 209, जिसमें 2 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने की सजा का प्रावधान है, के अपराध का गठन भी करता है, जिसके संबंध में मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। मैं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 199, 191, 193 और 209 को पढ़ व समझ चुका/चुकी हूं।

स्थान :

दिनांक:

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

सत्यापन

मैं यह सत्यापित करता/करती हूं कि शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सही होकर सत्य है। मेरे द्वारा इसमें कोई भी गलत तथ्य या कथन अंकित नहीं किया है और न ही कोई तात्पर्यक तथ्य छुपाया गया है। मैं यह भी सत्यापित करता हूं/करती हूं कि शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज मूल की गया प्रमाणित प्रति की प्रतियां हैं।

स्थान :

दिनांक:

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता